न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/22/2022

शीला शर्मा, 28/बी, पश्चिम प्रताप नगर, माहोली रोड़, मथुरा पिन कोड नम्बर 281001

........अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी भरतपुर

.............रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 20.10.2022**

अपीलार्थी शीला शर्मा, 28/बी पश्चिम प्रताप नगर, माहोली रोड़ मथुरा पिन कोड नम्बर 281001 की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी,भरतपुर के खिलाफ प्राप्त हुई है। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 19.7.2022 से लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी भरतपुर से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी भरतपुर द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर इस कार्यालय के पत्र कमांक/कोर्ट/22/780 दिनांक 6.10.2022 के द्वारा लोक सूचना जिला रसद अधिकारी भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र कमांक/2022/रसद/ आरटीआई/125 दिनांक 14.10.2022 शामिल पत्रावली किया गया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया, अपीलान्ट ने अपनी अपील में अंकित किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नही कराई है। सूचना उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर से प्राप्त जबाब का अवलोकन किया गया, लोक सूचना अधिकारी ने अपने जबाब में अंकित किया है कि प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय के

........2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

अपील / आरटीआई / 22 / 2022

शीला शर्मा बनाम डी.एस.ओ.भरतपुर

पत्र क्रमांक रसद / आरटीआई / 2022 / 120 दिनांक 20.9.2022 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है, सुलभ सन्दर्भ हेतु सूचना की फोटो प्रति संलग्न हैं। इससे स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी भरतपुर के स्तर पर सूचना लम्बित नहीं है। अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय प्रति (जिला रसद अधिकारी भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सलंग्न कर) प्रेषित हो, निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भरतपुर को प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग,जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर